



**भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
देहरादून
निविदा आमंत्रित करने की सूचना**

**भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए
यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध**

कार्यालय भवन, आरबीआई देहरादून में 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम (मेक: AAL)" के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए दो भागों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं उन फर्मों से आमंत्रित हैं जो 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम या उससे अधिक क्षमता के स्थापना/रखरखाव में विशेषज्ञता रखती हैं और जिन्हें समान प्रकृति के कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है।

2. उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं दो भागों में होंगी, अर्थात् भाग I जिसमें प्रस्तावित उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताएं और नियम व शर्तें शामिल होंगी (इस भाग में मदों की दरें और राशियां कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए) तथा भाग II जिसमें केवल मदों की दरें और अंकों व शब्दों में व्यक्त राशियां शामिल होंगी। इसे क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248013 को जमा किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र कि भाग II में कोई नियम और शर्तें शामिल नहीं हैं, निविदा के भाग I के साथ जमा किया जाएगा।

3. निविदा का भाग I दिनांक 10 अगस्त 2026, दोपहर 03:45 बजे खोला जाएगा। सभी लिफाफों पर "कार्यालय भवन, आरबीआई देहरादून में 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध" लिखा होना चाहिए। भाग I और भाग II को अलग-अलग लिफाफों में रखा जाएगा और दोनों लिफाफों को एक अन्य तीसरे लिफाफे में रखा जाएगा।

4. बोली केवल उपरोक्त पते पर आगंतुक क्षेत्र में रखे संपदा विभाग के कोटेशन बॉक्स में ही जमा की जानी चाहिए।

5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बयाना जमा राशि (EMD) के रूप में ₹2,300/- (रुपये दो हजार तीन सौ मात्र) एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से 10 अगस्त 2026, दोपहर 02:30 बजे या उससे पहले निम्नलिखित खाते में जमा करें:

लाभार्थी का नाम: Reserve Bank of India, Dehradun

खाता संख्या: 186003001

आईएफएससी कोड: RBIS0DNPA01 (5वां और 10वां अक्षर "शून्य" है)

(कृपया एनईएफटी लेनदेन रिमाक्स में अपनी फर्म/कंपनी का नाम दर्ज करें)।

{लेनदेन के विवरण की सूचना estatedehradun@rbi.org.in पर भेजें}

6. यह राशि ब्याज मुक्त है और प्रतिदेय प्रकृति की है। कृपया ध्यान दें कि असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी सफल बोलीदाता को कार्य आदेश (Work Order) जारी होने के 07 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी अनुबंध राशि के 10% के बराबर पीबीजी (PBG) के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद वापस की जाएगी।

दिनांक: 21 जुलाई 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
देहरादून



भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
देहरादून
निविदा की अनुसूची

1. कार्य का नाम	2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम (मेक: AAL) के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध
2. निविदा का तरीका	ऑफलाइन
3. दिनांक/समय जब एनआईटी (सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज़ सहित) वेबसाइट से पक्षों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx	21 जुलाई 2026, दोपहर 03:00 बजे से
4. पूर्व-बोली बैठक का समय एवं स्थान (ऑफलाइन)	03 अगस्त 2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सम्पदा विभाग, पहली मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून।
5. निविदा की अनुमानित लागत	₹1,15,000/-
6. बयाना जमा राशि (ईएमडी)	सभी बोलीदाताओं द्वारा भाग-I के साथ ₹2,300/- जमा किए जाने हैं। (आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसई (MSEs) के लिए कोई छूट नहीं है)
7. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	10 अगस्त 2026, दोपहर 02:30 बजे तक
9. ऑफलाइन मोड में निविदा जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	21 जुलाई 2026, दोपहर 03:00 बजे से
10. बोली जमा करने के लिए निविदा बंद होने की तिथि	10 अगस्त 2026, दोपहर 03:30 बजे तक
11. भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	10 अगस्त 2026, दोपहर 03:45 बजे
12. भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि एवं समय	भाग-II बाद की तिथि में खोला जाएगा, जिसकी सूचना बोलीदाताओं को आवश्यकतानुसार ईमेल के माध्यम से अग्रिम रूप से दी जाएगी।

दिनांक: 21 जुलाई 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
देहरादून



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, देहरादून

भाग-1

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए
यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

फर्म/कंपनी का नाम: _____

पता: _____

:

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। RBI की लिखित अनुमति के, सिवाय RBI को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य के बिना इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य, पर कॉपी, वितरित या रिकॉर्ड करना प्रतिबंधित है। इन दस्तावेजों की सामग्री का उपयोग, अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, सम्पदा विभाग, देहरादून (बैंक) द्वारा इस दस्तावेज़ को तैयार किया गया है। यह जानकारी इच्छुक कंपनी/फर्मों को भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु बोली लगाने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती है, जो अनुबंध में निर्दिष्ट तिथि से इस दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा ऐसी जानकारी से संबंधित किसी अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होगा।

यह दस्तावेज़ न तो किसी पक्ष के साथ कोई समझौता है और न ही किसी पक्ष को किसी भी प्रकार का कार्य करने का आमंत्रण। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ बैंक की आवश्यकताओं को साझा करना है ताकि वे अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकें। यद्यपि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है, बैंक यह दावा नहीं करता कि जानकारी पूर्ण है। इस दस्तावेज़ के उत्तरदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वयं जांच-पड़ताल करें और केवल दस्तावेज़ में दी गई जानकारी पर ही निर्भर न रहें। यदि उत्तरदाता उचित जांच-पड़ताल नहीं करते हैं तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक इस दस्तावेज़ पर आगे कार्रवाई न करने, इसमें दर्शाई गई समय-सारणी में परिवर्तन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी उत्तरदाता के साथ कार्य/प्रक्रिया पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बोलियां प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा।

निविदा की सारिणी (एसओटी)

1. कार्य का नाम	2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम (मेक: AAL) के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध
2. निविदा का तरीका	ऑफलाइन
3. दिनांक/समय जब एनआईटी (सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज़ सहित) वेबसाइट से पक्षों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा https://www.rbi.org.in/Scripts/Bs_ViewTenders.aspx	21 जुलाई 2026, दोपहर 03:00 बजे से
4. पूर्व-बोली बैठक का समय एवं स्थान (ऑफलाइन)	03 अगस्त 2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सम्पदा विभाग, पहली मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून।
5. निविदा की अनुमानित लागत	₹1,15,000/-
6. बयाना जमा राशि (ईएमडी)	सभी बोलीदाताओं द्वारा भाग-I के साथ ₹ 2,300/- जमा किए जाने हैं। (आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसई (MSEs) के लिए कोई छूट नहीं है)
7. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	10 अगस्त 2026, दोपहर 02:30 बजे तक
9. ऑफलाइन मोड में निविदा जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	21 जुलाई 2026, दोपहर 03:00 बजे से
10. बोलों जमा करने के लिए निविदा बंद होने की तिथि	10 अगस्त 2026, दोपहर 03:30 बजे तक
11. भाग-I (तकनीकी-वार्षिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	10 अगस्त 2026, दोपहर 03:45 बजे
12. भाग-II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि एवं समय	भाग-II बाद की तिथि में खोला जाएगा, जिसकी सूचना बोलीदाताओं को आवश्यकतानुसार ईमेल के माध्यम से अग्रिम रूप से दी जाएगी।

खंड I - अनुबंध की सामान्य शर्तें

1. कार्यालय भवन, आरबीआई देहरादून में 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम (मेक: AAL)" के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए दो भागों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं उन फर्मों से आमंत्रित हैं जो 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम या उससे अधिक क्षमता के स्थापना/रखरखाव में विशेषज्ञता रखती हैं और जिन्हें समान प्रकृति के कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है।
2. उपरोक्त कार्य के लिए निविदाएं दो भागों में होंगी, अर्थात् भाग I जिसमें प्रस्तावित उपकरणों की तकनीकी विशिष्टताएं और नियम व शर्तें शामिल होंगी (इस भाग में मदों की दरें और राशियां कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए) तथा भाग II जिसमें केवल मदों की दरें और अंकों व शब्दों में व्यक्त राशियां शामिल होंगी। इसे क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16-17, आईटी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248013 को जमा किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र कि भाग II में कोई नियम और शर्तें शामिल नहीं हैं, निविदा के भाग I के साथ जमा किया जाएगा।
3. निविदा का भाग I दिनांक 10 अगस्त 2026, दोपहर 03:45 बजे खोला जाएगा। सभी लिफाफों पर "कार्यालय भवन, आरबीआई देहरादून में 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध" लिखा होना चाहिए। भाग I और भाग II को अलग-अलग लिफाफों में रखा जाएगा और दोनों लिफाफों को एक अन्य तीसरे लिफाफे में रखा जाएगा।
4. बोली केवल उपरोक्त पते पर आगंतुक क्षेत्र में रखे संपदा विभाग के कोटेशन बॉक्स में ही जमा की जानी चाहिए।
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बयाना जमा राशि (EMD) के रूप में ₹ 2,300/- (रुपये दो हजार तीन सौ मात्र) एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से 10 अगस्त 2026, दोपहर 02:30 बजे या उससे पहले निम्नलिखित खाते में जमा करें:

लाभार्थी का नाम: Reserve Bank of India, Dehradun

खाता संख्या: 186003001

आईएफएससी कोड: RBIS0DNPA01 (5वां और 10वां अक्षर "शून्य" है)

(कृपया एनईएफटी लेनदेन रिमाक्स में अपनी फर्म/कंपनी का नाम दर्ज करें)।

{लेनदेन के विवरण की सूचना estatedehradun@rbi.org.in पर भेजें}

6. यह राशि ब्याज मुक्त है और प्रतिदेय प्रकृति की है। कृपया ध्यान दें कि असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी सफल बोलीदाता को कार्य आदेश (Work Order) जारी होने के 07 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी अनुबंध राशि के 10% के बराबर पीबीजी (PBG) के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद वापस की जाएगी।
7. दरों की वैधता: उद्धृत दरें निविदा के भाग-I को खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगी।
8. पात्रता मानदंड: -

- i. बोलीदाता को 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम या उससे अधिक क्षमता के स्थापना/रखरखाव में विशेषज्ञता रखने वाली फर्म होना चाहिए, जिसे इस दस्तावेज़ में उल्लिखित समान प्रकृति के कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 1,15,000/- है।

और

- ii. फर्म के पास समान कार्यों (अर्थात 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम या उससे अधिक क्षमता के यूपीएस सिस्टम का स्थापना/रखरखाव) के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (30 जून 2026 तक)।

और

- iii. 31 मार्च 2026 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात 2023-24, 2024-25, 2025-26) के दौरान बोलीदाता का वार्षिक टर्नओवर अनुमानित लागत के 100% या उससे अधिक के बराबर होना चाहिए।

और

- iv. 30 जून 2026 तक पिछले 5 वर्षों के दौरान समान प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए:
(a) अनुमानित लागत के 40% के बराबर या उससे अधिक राशि के तीन समान पूर्ण किए गए कार्य।

अथवा

- (b) अनुमानित लागत के 50% के बराबर या उससे अधिक राशि के दो समान पूर्ण किए गए कार्य।

अथवा

- (c) अनुमानित लागत के 80% के बराबर या उससे अधिक राशि का एक समान प्रकार का पूर्ण किया गया कार्य।

v. समान कार्य का अर्थ है: 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (SITC) / व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC)। (कार्य आदेश और क्लाइंट प्रमाणपत्रों की प्रतियां बोली के साथ जमा की जानी चाहिए)।

vi. सर्विस सेटअप:** कंपनी/फर्म देहरादून / उत्तराखंड / पश्चिमी उत्तर प्रदेश / दिल्ली-एनसीआर में अपने सर्विस सेटअप का विवरण देगी। ठेकेदार को एक एस्केलेशन मैट्रिक्स जमा करना होगा, जिसमें सेवा/रखरखाव आवश्यकताओं और कमियों/दोषों के सुधार के मामले में संपर्क किए जाने वाले सेवा कर्मियों के संपर्क विवरण का उल्लेख हो।

नोट: यदि कोई बोलीदाता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो उसकी बोली खारिज कर दी जाएगी।

9. ठेकेदार को 2 X 20 kVA यूपीएस सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के लिए समझौते को निष्पादित करना होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

a. करार: कंपनी/फर्म कार्य आदेश की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर बैंक के साथ निर्धारित प्रारूप में स्टैम्प पेपर पर एक करार निष्पादित करेगी। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र/कार्य आदेश जारी करने को एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, मानो ऐसा समझौता निष्पादित किया गया हो और इस अनुबंध पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। करार को निष्पादित करने की लागत सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

b. बीमा: ठेकेदार कार्य शुरू करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रथम नाम होने के नाते) और ठेकेदार के संयुक्त नामों पर अपनी लागत पर सभी बीमा कराएगा और इसमें निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे:

i. आरबीआई में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी मुआवजा नीति

ii. किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए न्यूनतम ₹ 2 लाख प्रति व्यक्ति और संपत्ति के नुकसान के संबंध में किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए ₹ 5.00 लाख की तृतीय-पक्ष देयता नीति

नोट: ये नीतियां अनुबंध की वैधता तक मान्य होंगी। यदि सफल कंपनी/फर्म ये नीतियां प्रदान नहीं करती है, तो बैंक के पास स्वयं उपरोक्त बीमा पॉलिसियां लेने और उसकी लागत सफल कंपनी/फर्म के बिल से वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

10. कार्य निष्पादन बैंक गारंटी: सफल बोलीदाता कार्य आदेश की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक से अनुबंध मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि की पीबीजी (परिशिष्ट VII में दिए गए प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करेगा या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उपरोक्त खाता संख्या में पीबीजी के समतुल्य राशि स्थानांतरित करेगा, या मासिक बिलों से पीबीजी के समतुल्य राशि रोकने के लिए बैंक को स्पष्ट लिखित सहमति प्रदान करेगा। यह राशि अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में होगी। यह राशि अनुबंध संबंधी दायित्वों के पूरा होने या पीबीजी के वास्तविक रूप में प्रस्तुत

होने तक वैध होनी चाहिए। अगले वर्ष से वार्षिक आधार पर सीएएमसी के नवीनीकरण के अधीन, अनुबंध की आगे की अवधि के लिए इसे बढ़ाया और बढ़ाया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रस्तुतीकरण में देरी के मामले में, बैंक दर पर ठेकेदार के बिलों से बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए शुल्क वसूल किया जाएगा।

11. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा में देरी के लिए जुर्माना : यदि सीएएमसी अवधि के दौरान डाउनटाइम इस दस्तावेज़ में वर्णित डाउनटाइम अवधि से अधिक हो जाता है, तो सेवा प्रदाता को देय किसी भी भुगतान से निम्नलिखित दरों पर दंडात्मक वसूली की जाएगी:
 - यूपीएस सेवाओं का आंशिक बंद होना – अधिकृत रखरखाव अवधि के बाद ₹ 500/- प्रति दिन (अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक)।
 - यूपीएस सेवाओं का आंशिक बंद होना जिससे पूरा सिस्टम विफल हो जाए – अधिकृत रखरखाव अवधि के बाद ₹ 3000/- प्रति दिन (अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक)।
 - इसके अतिरिक्त, यदि 10 दिनों की अवधि के भीतर खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर खराबी को ठीक कराने का अधिकार होगा। सिस्टम को ठीक करने में देरी के लिए बैंक को सुरक्षा जमा को जब्त करने / ठेकेदार के किसी भी देय राशि से वसूलने और अनुबंध को समाप्त करने का भी अधिकार होगा, यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है।

13. भुगतान की शर्तें और व्यापक एएमसी की दर का नवीनीकरण

- i. भुगतान की शर्तें: बैंक सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा प्रदाता को यहाँ उल्लिखित कार्यों के दायरे के अनुसार संतोषजनक रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाता द्वारा तिमाही के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के बाद, आवश्यक सेवा रिपोर्टों के साथ बिल जमा करने पर बैंक द्वारा तिमाही भुगतान किया जाएगा।
- ii. व्यापक सीएएमसी की दर का नवीनीकरण: आगे की अवधि के लिए सीएएमसी की दर का नवीनीकरण निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा:

$$AC = \frac{AP}{100} \left(15 + 70 \times \frac{EPC}{EPP} + 15 \times \frac{WIC}{WIP} \right)$$

AC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि।

7 | पृष्ठ

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

AP = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध राशि।

EPC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index)।

EPP = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।

WIC = चालू वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (स्थापना शहर का संबंधित स्थान)।

WIP = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (स्थापना शहर का संबंधित स्थान)।

14. वार्षिक रखरखाव अनुबंध का नवीनीकरण प्रतिवर्ष (अप्रैल से मार्च) किया जाएगा, जो विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा और ये नवीनीकरण पहली बार के बाद अधिकतम 02 नवीनीकरणों तक सीमित होंगे।

15. सफल बोलीदाता का मूल्यांकन न्यूनतम लागत चयन (Least Cost Selection) के आधार पर होगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को खारिज करने का अधिकार सुरक्षित रखता

16. अतिरिक्त शर्तों वाली बोलियां / अपूर्ण / अनुचित / सीलबंद लिफाफे में न होने वाली बोलियां / ईएमडी के बिना जमा की गई बोलियां तुरंत खारिज कर दी जाएंगी।

17. निर्धारित तिथि और समय के बाद जमा की गई बोलियां बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलियां केवल निर्धारित प्रारूप में ही जमा की जानी चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत कोटेशन बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अनुबंध/बोली से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल देहरादून के अधिकार क्षेत्र के भीतर सुलझाया जाएगा।

18. कोटेशन का बहुविध / बार-बार / संशोधित प्रस्तुतीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। 'एक बोलीदाता एक कोटेशन' के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यदि किसी बोलीदाता द्वारा एक से अधिक बोलियां जमा की जाती हैं, तो उस बोलीदाता द्वारा जमा की गई सभी बोलियां खारिज कर दी जाएंगी।

19. इस दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ों को जमा करना अनिवार्य है।

20. बोलीदाता इस कोटेशन से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए श्री विजय कुमार गर्ग (मो. नं. 8725001296) और श्री राकेश कुमार (मो. नं. 8126824899) से संपर्क कर सकते हैं।

खंड-I: कार्यक्षेत्र

A. व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध:

- a. इस सिस्टम में 20 केवीए यूपीएस के 2 ऑनलाइन यूपीएस यूनिट (निर्माता: एम/एस एएल, मॉडल: अल्फा-33) शामिल हैं जो समानांतर रूप से संचालित होते हैं।
- b. यूपीएस सिस्टम के व्यापक एएमसी में बैटरी को छोड़कर यूपीएस के कामकाज के लिए प्रदान किए गए सभी घटक, कार्ड, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, फिल्टर, सभी प्रकार के केबल आदि शामिल होंगे।
- c. सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार सभी सॉफ्टवेयर अपडेट, रिलीज़, वर्ज़न अपग्रेड, नए वर्ज़न आदि CAMC के दायरे में शामिल होंगे। सेवा प्रदाता को सभी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर के सभी सॉफ्टवेयर (IOS) अपडेट, रिलीज़, वर्ज़न अपग्रेड, नए वर्ज़न आदि उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें इस सिस्टम के लिए दिए गए सभी लाइसेंसों का नवीनीकरण भी शामिल है। सेवा प्रदाता ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट, रिलीज़, वर्ज़न अपग्रेड, नए वर्ज़न आदि के कार्यान्वयन/संचालन/कस्टमाइज़ेशन का कार्य भी करेगा। तदनुसार, सेवा प्रदाता को उपरोक्त लागत को CAMC के लिए उद्धृत लागत में शामिल करना चाहिए।
- d. सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरणों के लिए 24x7 सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- e. **महीने में कम से कम एक बार निवारक रखरखाव** यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम सही कार्यशील स्थिति में चल रहा है। सर्विसिंग में यूपीएस की सफाई, धूल-मिट्टी हटाना आदि भी शामिल होगा।
- f. व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध की अवधि के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाएगी कि सिस्टम का डाउनटाइम न्यूनतम रहे और किसी भी स्थिति में, मरम्मत के लिए निर्धारित अनुमत समय से अधिक न हो, जैसा कि नीचे दिया गया है:
 - i. यूपीएस में किसी भी प्रकार की खराबी जिसके कारण यूपीएस की सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं, उसकी लिखित शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर सुधार/ मरम्मत की जाएगी (एसएमएस, ईमेल, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतें भी लिखित शिकायत मानी जाएंगी)।

- ii. यूपीएस में किसी भी प्रकार की खराबी जिसके कारण सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाता है, उसकी मरम्मत लिखित शिकायत दर्ज होने के 8 घंटे के भीतर की जाएगी (एसएमएस, ईमेल, फैक्स आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतें भी लिखित शिकायत मानी जाएंगी)।
- g. उद्धृत दरों में उपकरण में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर उसकी मरम्मत/बदलाव, जिसमें सॉफ्टवेयर को पुनः लोड करना आदि शामिल है, शामिल होना चाहिए। दरों में परिवहन, भोजन, आवास आदि या सिस्टम/उप-असेंबली में खराबी/सेवा संबंधी किसी भी आकस्मिक लागत को भी शामिल किया जाना चाहिए। यूपीएस में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर, उसकी मरम्मत निर्धारित अवधि के भीतर की जानी चाहिए, जिसमें स्पेयर पार्ट्स/घटक/उप-सिस्टम/कार्ड और किसी भी अन्य घटक, भाग या संपूर्ण उपकरण का प्रतिस्थापन शामिल है, जिसे बदलने/मरम्मत करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि किसी भी कारण से मरम्मत संभव नहीं है, तो बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के खराब उपकरण को नए उपकरण से बदल दिया जाएगा। मरम्मत या प्रतिस्थापन की अवधि के दौरान, सेवा प्रदाता सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अस्थायी रूप से समान स्टैंडबाय/स्पेयर उपकरण उपलब्ध कराएगा।
- h. सेवा प्रदाता को अपने सेवा केंद्र पर सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा। स्पेयर पार्ट्स/स्टैंडबाय यूनिट/घटकों की अनुपलब्धता को शीघ्र सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माने की माफी का कारण नहीं माना जाएगा।
- i. निवारक रखरखाव के अलावा, रखरखाव के दायरे में किसी भी प्रकार की खराबी की शिकायतों का समाधान करना भी शामिल होगा।

खंड II - विशेष शर्तें

A. सेवाएं कंपनी/फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

कंपनी/फर्म को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- i. यह सुनिश्चित करें कि वह कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित/योग्य और सक्षम व्यक्तियों को तैनात करे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक या संक्रामक बीमारी से पीड़ित न हों।
- ii. बैंक/नियोक्ता द्वारा समझौते के तहत अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होना।
- iii. यह सुनिश्चित करें कि इस करार के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से बीमित हों, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कंपनी/फर्म किसी भी व्यक्ति, पशु या अन्य वस्तु को हुई किसी भी चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी होगी।
- iv. यह सुनिश्चित करें कि बैंक के कार्यालय परिसर में या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय, उनके कर्मचारी बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें, और बैंक/नियोक्ता इस बात का एकमात्र निर्णायक होगा कि कंपनी/फर्म और/या उसके कर्मचारियों ने इनका पालन किया है या नहीं।
- v. व्यक्तिगत रूप से, और अपने कर्मचारियों के काम की विशेष रूप से निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरी की जाएं।
- vi. यह सुनिश्चित करें कि कंपनी/फर्म का कोई भी कर्मचारी बैंक के परिसर में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक प्रवेश न करे या वहां न रहे, जब तक कि कंपनी/फर्म के दायित्वों को पूरा करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो।
- vii. कंपनी/फर्म या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कृत्य, चूक, गलती या लापरवाही के कारण बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी हिस्से या उसमें लगे किसी भी उपकरण या फिटिंग को या बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।
- viii. बैंक के कार्यालय भवन/परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों या एजेंटों को पहचान पत्र उपलब्ध

कराएं। सभी कर्मचारियों और एजेंटों को बैंक कार्यालय परिसर में काम करते समय हर समय पहचान पत्र और अपनी वर्दी साथ रखनी होगी।

B. न्यूनतम वेतन: सफल कंपनी/फर्म, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और संहिता 2019, संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के कारण होने वाली सभी हानियों और दावों, क्षतियों या मुआवजे के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी और क्षतिपूर्ति की भरपाई करती रहेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की देनदारी के लिए केवल फर्म ही जिम्मेदार होगी।

C. गोपनीयता कथन

- a. इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या बैंक द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा कंपनी/फर्म को मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप में बाद में प्रदान की गई जानकारी, इस दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा ऐसी जानकारी प्रदान करने से संबंधित अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
- b. इस दस्तावेज़ का उद्देश्य कंपनी/फर्म को उनके प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।
- c. यह दस्तावेज़ कंपनी/फर्म को आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने का दावा नहीं करता है।
- d. यह दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाली कंपनी/फर्म के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।
- e. कंपनी/फर्म को अपनी स्वयं की जांच और विश्लेषण करना चाहिए तथा इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
- f. बैंक और उसके कर्मचारी इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और न ही किसी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के तहत किसी भी प्रकार के दायित्व के लिए उत्तरदायी होंगे।
- g. यह दस्तावेज़ और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय है और इसका उपयोग केवल कंपनी/फर्म के लिए ही किया जाना है।

- h. ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, जो उसे अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वाह के दौरान प्राप्त हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय पूर्ण गोपनीयता में रखेगा। उपरोक्त का पालन न करने पर ठेकेदार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

D. यौन उत्पीड़न संबंधी धारा: सेवा प्रदाता/एजेंसी को "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा।

- a. सेवा प्रदाता एजेंसी बैंक परिसर के भीतर किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की स्थिति में, सेवा प्रदाता/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। शिकायत सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और सेवा प्रदाता/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- b. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।
- c. अगर घटना में सेवा प्रदाता के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, अगर सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है, तो बैंक के कर्मचारी को देय किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा।
- d. सेवा प्रदाता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- e. सेवा प्रदाता बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

E. गोपनीयता खंड: कंपनी/फर्म इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और इसे हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेगी। कंपनी/फर्म अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगी, सिवाय उस सीमा तक जहां अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करना या लागू कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक हो। कंपनी/फर्म नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य किसी भी स्थान पर कार्यों का कोई भी

विवरण प्रकाशित नहीं करेगी, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगी और न ही उसका खुलासा करेगी। गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुई किसी भी हानि के लिए कंपनी/फर्म नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। उपरोक्त का पालन न करना कंपनी/फर्म द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। कंपनी/फर्म अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कार्रवाई करेगी कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-खुलासे संबंधी दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए। किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या निरस्त होने के बाद भी, कंपनी/फर्म के गोपनीयता और गैर-खुलासे संबंधी दायित्व बने रहेंगे।

F. अनुबंध की समाप्ति:

- i. बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए, लिखित सूचना द्वारा इस समझौते को तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा।
 - a) बैंक की राय में (जिस पर कंपनी/फर्म द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है और जो कंपनी/फर्म पर बाध्यकारी होगी), यदि कंपनी/फर्म बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस समझौते को लागू करने में विफल रहती है या इनकार करती है, तो
 - b) कंपनी/फर्म प्रतिबद्ध है इस समझौते की किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन और/या
 - c) किसी भी कारणवश, यदि कंपनी/फर्म इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य हो जाती है और/या
 - d) बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कंपनी/फर्म या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन होता है।
- ii. किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति की स्थिति में, कंपनी/फर्म/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंट बैंक से किसी भी प्रकार की राशि, मुआवजे, हर्जाने या अन्य किसी रूप में प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

H. स्टांप शुल्क: इस करार के स्टांप शुल्क का खर्च कंपनी/फर्म वहन करेगी। बैंक मूल प्रति अपने पास रखेगा और कंपनी/फर्म इसकी एक प्रति अपने पास रखेगी।

I. अनुबंध के विभिन्न हिस्सों को कंपनी/फर्म द्वारा पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

- J.** इस अनुबंध के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल देहरादून में ही किए जाएंगे।
- K.** उक्त अनुबंध राशि का भुगतान उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से किया जाना है, जिसके बदले में कंपनी/फर्म उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में दर्शाए गए कार्य को निष्पादित और पूरा करेगी।
- L.** नियोक्ता उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाए, कंपनी/फर्म को भुगतान करेगी।
- M.** उक्त शर्तें और उनके अनुलग्नक इस करार का हिस्सा माने जाएंगे और इसमें शामिल पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके प्रति प्रतिबद्ध होंगे और उक्त शर्तों में निहित अपने-अपने हिस्से के करार का निष्पादन करेंगे।
- इस अनुबंध का आधार इसमें उल्लिखित करार और दस्तावेज होंगे।

अगर कंपनी/फर्म पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है।	इसके प्रमाण स्वरूप, नियोक्ता और कंपनी/फर्म ने उपरोक्त दिनांक और वर्ष को इस दस्तावेज और इसकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।
अगर कंपनी/फर्म पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है। अगर कंपनी/फर्म कोई कंपनी है।	इसके प्रमाण स्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और कंपनी/फर्म ने इस पर अपनी मुहर लगवाई है तथा उक्त प्रतिलिपि/इन दस्तावेजों और इनकी उक्त दो प्रतिलिपियों को ऊपर लिखे दिनांक और वर्ष को अपनी ओर से निष्पादित करवाया है,

हस्ताक्षर खंड:

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित।

(नाम और पदनाम) की उपस्थिति में: गवाह:

1. _

पता:

2.

पता:

यदि पक्षकार कोई साझेदारी फर्म या व्यक्ति है: (नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में:

गवाह:

1. _ पता: _____

1. _____ पता: _____

नोट: बैंक के पास अनुबंध निष्पादित होने से पहले करार की शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक चिकित्सा उपकरण , जिसमें जीवाणुरहित ड्रेसिंग और कॉटन की पर्याप्त आपूर्ति शामिल हो, आसानी से उपलब्ध स्थान पर रखी जाएगी।
2. घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, जिन मामलों में चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों को उपयुक्त और मजबूत पाड़ प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन / फर्श से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल लैडर (सीढ़ी) 8 मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेल्स के बीच की चौड़ाई 30 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न रोंगों (पायदानों) के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर को लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर के भीतर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर, जो भी अधिक हो, नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई वाले स्थानों पर आवश्यक फेंसिंग और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।
6. किसी भवन के फर्श पर या किसी वर्किंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक ओपनिंग में उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान की जाएगी जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी ताकि व्यक्तियों या सामग्रियों को गिरने से रोका जा सके।
7. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिभारित नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे जो सामग्री / रसायनों आदि को मिलाने और संभालने में संलग्न हैं।
9. ठेकेदार द्वारा सुरक्षा बेल्ट प्रदान किए जाएंगे और जमीन के स्तर से 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर काम करते समय श्रमिकों द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा।
10. (i) लीड उत्पाद युक्त रंग / रसायन उत्पादों का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
(ii) आवश्यक पीपीई (PPE) किट, फेसमास्क, हैंड ग्लव्स, बूट आदि श्रमिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
11. ठेकेदार द्वारा रंगकर्मियों को ओवरॉल्स उपलब्ध कराए जाएंगे तथा कार्य अवधि के दौरान रंगकर्मियों को धोने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
12. होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट पूरी तरह से सही स्थिति में होने चाहिए।
13. सामग्री को उठाने या नीचे लाने या निगरानी के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त शक्ति वाली होनी चाहिए और दोषों से मुक्त होनी चाहिए।
14. प्रमाण पत्र जिसमें बताया गया हो कि सभी औजार, उपकरण, सुरक्षा सामान, मशीनरी आदि ठीक हैं, जो ठेकेदार/ठेकेदार के अधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर की गई जाँच के आधार पर हो।

ग्राहकों की सूची के लिए प्रोफ़ार्मा

क्रमांक।	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1	नाम, पता, फैक्स और टेलीफोन नंबर			
2	परियोजना का नाम, स्थान और पता।			
3	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
4	पूर्ण किए गए कार्य का मूल्य			
5	अनुबंध प्रदान करने की तिथि			
6	कार्य पूर्ण होने की तिथि			
7	क्या यह कार्य वास्तुकार/सलाहकार की देखरेख में किया गया था, यदि हां, तो विवरण दें।			

(तीन से अधिक ग्राहकों के मामले में अतिरिक्त कॉलम जोड़ें)

कंपनी की मुहर
तारीख:

स्थान:

कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

पता:

ईमेल:

फोन:

करार की शर्तें

<u>करार की शर्तें</u>	<u>Articles of Agreement</u>
यह करार वर्ष 202_ केदिन एक तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है - 400 001 (जिसे इसके बाद इसे "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी तरफ....., एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है (इसके बाद "ठेकेदार" कहा गया है) के बीच किया गया है। जबकि नियोक्ता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए विनिर्देशों के अनुसार बैंक के कार्यालय..... में.....यह कार्य प्रदान करने का इच्छुक है। और जबकि ठेकेदार निविदा/कोटेशन/यहां उल्लिखित शर्तों (इसके पश्चात इन सभी को कथित शर्तों के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन कार्य करने के लिए सहमत है। यह कार्य वह यहां आगे उल्लिखित संबंधित दरों पर जो कि के बराबर है, की अवधि के लिए कोटेशन/कार्य आदेश में उद्धृत की गई दर पर या इसके अंतर्गत देय होने वाली अन्य किसी राशि पर निष्पादित करने के लिए सहमत है। अब इस पर निम्नानुसार सहमति हुई है:- - उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन उक्त विनिर्देशों में दर्शाए गए और वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा। - नियोक्ता ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा, जो निविदा शर्तों	ARTICLES OF AGREEMENT made the day of , 20 between the RESERVE BANK OF INDIA, PLOT NO. 16 & 17, IT PARK, DEHRADUN having its Central Office at Mumbai - 400 001. (Hereinafter called "the Employer") of the one part and a Company having its Registered Office at (hereinafter called the "Contractor") of the other part. WHEREAS the Employer is desirous of awarding the work of at Bank's as per the specifications describing the work to be done to be prepared by Reserve Bank of India. AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute the subject to the conditions set forth in the tender / quotation / herein (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said conditions") at the respective rates therein set forth amounting to the sum of Rupees..... as applicable for the period from to at the rate quoted in the quotation / work order / as therein arrived at of such other sum as shall become payable there under. NOW IT IS HEREBY AGREED AS

में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय होगी। 3. उपर्युक्त शर्तों में, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून के प्रभारी सहायक महाप्रबंधक (संपदा) नियोक्ता की ओर से कार्य करेंगे। 4. उक्त शर्तों और उनके परिशिष्ट को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उन्हें मानेंगे और उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से करारों का पालन करेंगे। 5. संविदा और यहां उल्लिखित दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे। 6. नियोक्ता अपने पास कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसमें कार्य की किसी भी वस्तु को जोड़ सकता या हटा सकता है या उसके कुछ हिस्सों को इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना करवा सकता है। 7. इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल देहरादून में किए जाएंगे। 8. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को देहरादून में उत्पन्न माना जाएगा और केवल देहरादून के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। 9. कि इस संविदा के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है। 10. भविष्य में नवीनीकरण बैंक के नियमों के अनुसार होगा।	FOLLOWS: - 1. In consideration of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the tender conditions, the Contractor shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work shown and described in the said specifications. 2. The Employer shall pay the Contractor the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions. 3. In the said Conditions herein before mentioned, the Assistant General Manager (Estate) in charge of the Estate Department, Reserve Bank of India, Plot No. 16 & 17, IT Park, Dehradun shall act on behalf of the Employer. 4. The said conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained. 5. The Agreement and the Documents mentioned herein shall form the basis of this Contract. 6. The Employer reserves to itself the right of altering the nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this Contract.
---	---

11. कार्य आदेश पत्र सं.....इस करार का हिस्सा होगा। 12. निविदा /कोटेशन में एएमसी से संबंधित सभी नियम और शर्तों को भी ठेकेदार द्वारा माना जाएगा। 13. गैर-प्रकटीकरण खंड: ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की बुनियादी सुविधा/प्रणालियों / उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है और हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, केवल इसे छोड़कर जो इसके तहत उसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार यह अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रकार की उचित कार्रवाई करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण का दायित्व पूरी तरह से पूरा हो गया है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या इसे समाप्त किए जाने के बाद भी बना रहेगा।	7. All Payments by the Employer under this Contract will be made only at Dehradun. 8. All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Dehradun and only Courts in Dehradun shall have jurisdiction to determine the same. 9. That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor. 10. Future renewals will be as per Bank's rules. 11. The work order letter no.dated will form part of the agreement. 12. All terms and conditions pertaining to AMC in the tender/ quotation will also be honoured by the Contractor. 13. <u>Non-disclosure clause:</u> "The contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/Systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations
--	---

14. लैंगिक उत्पीड़न खंड:

सेवा प्रदाता / एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगा।

सेवा प्रदाता एजेंसी बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में "कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और सेवा प्रदाता/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

सेवा प्रदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जो उसे सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के इसमें शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरणतः यदि सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न सिद्ध हो जाने पर बैंक कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत देनी पड़े। सेवा प्रदाता कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारी को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

15. शासी भाषा: यह करार अंग्रेजी और हिंदी में निष्पादित किया गया है। यदि इस संविदा का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी संस्करण के साथ विरोध करता है या इसमें अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त या उससे अलग शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण को माना जाएगा।

under it or to comply with applicable laws. The contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied.

The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason."

14. SEXUAL HARASSMENT

The Contractor / Agency shall comply with the provisions of "the Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Contractor / Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

Any complaint of sexual harassment

इसके साक्ष्य में, नियोक्ता ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी मुहर लगाई है और इसे उपर्युक्त दिन और वर्ष को दो प्रतियों में निष्पादित किया है।

from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved. The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

15. Governing Language: This Agreement has been executed in English and Hindi. If Hindi translation of this Agreement conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.

16. IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates/ has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first herein above written.

ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द	SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of
श्री (नाम एवं पदनाम)	Shri _____ _____ Address _____

इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए 1) पता पता (गवाह)	_____ in the presence of 1) _____ Address _____ 2) _____ Address _____ (Witnesses)
भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द	SIGNED AND DELIVERED BY the Reserve Bank of India by the hand of
2) पता 3) पता (गवाह)	Shri _____ (Name & Designation) in the presence of 1) _____ Address _____ 2) _____ Address _____ (Witnesses)

अनुलग्नक – III

एक अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रारूप

1.	फर्म की संरचना (साझेदारी/ निजी सीमित/ एकल स्वामित्व/ सार्वजनिक सीमित)।
2.	फर्म के मालिक/ साझेदारों/ निदेशकों के नाम।
3.	पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार)।
4.	फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ ओवरड्राफ्ट सुविधा।
5.	डीलिंग्स
6.	फर्म आपके बैंक के साथ कितने समय से बैंकिंग कर रही है।
7.	कोई अन्य टिप्पणी

(हस्ताक्षर)
बैंक

नोट:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, और एनलिस्टमेंट प्राधिकारी के लिए लिफाफे में सील किया जाना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
(उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

सभी लोगों को यह ज्ञात हो, कि हम
.....(कंपनी/फर्म का नाम और उनके पंजीकृत
कार्यालय का पता) यहां घोषणा करते हैं, नियुक्त करते हैं और अधिकृत करते हैं श्री/श्रीमती
..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का
नाम और निवास पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और
..... पद पर आसीन हैं, को हमारे
अटॉर्नी के रूप में, हमारे नाम से और हमारी ओर से, उक्त परियोजना के लिए हमारे बोली के संबंध में या
उससे संबंधित सभी आवश्यक कार्य, कृत्य और बातें करने के लिए, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट नं. 16
एवं 17, आईटी पार्क, देहरादून में 2 X 20 KVA UPS सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध
(CAMC) के लिए आइटम रेट अनुबंध के आधार पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उनका प्रस्तुतीकरण,
आरबीआई को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व
करना, और सामान्य रूप से उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई
के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिवत रूप से किए गए सभी
कार्यों, कृत्यों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए
सभी कार्य, कृत्य और चीजें हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएंगे।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए और यह नोटरीकृत होनी चाहिए।
प्रस्तुत की गई पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर

नाम

कंपनी/फर्म की मुहर/स्टाम्प

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क लगेगा, जहां इसे निष्पादित किया गया है, और इस पर
उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)।

सेवा सेटअप का विवरण

1	पता	
2	टेलीफोन नंबर	
3	फैक्स नंबर	
4	मेल पता	
5	इंजीनियर, तकनीशियन आदि की संख्या का विवरण, जिसमें उनकी योग्यता और पदनाम, संपर्क नंबर आदि शामिल हों।	

1. कृपया उपर्युक्त कार्यालय का विवरण स्पष्ट रूप से बताएं, जहां से देहरादून में प्रस्तावित प्रणाली के लिए सेवा प्रदान की जाएगी।
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शीट संलग्न करें।

कंपनी की मुहर
तारीख:

जगह:

कंपनी/फर्म के हस्ताक्षर

नाम :

पद का नाम:

पता :

ईमेल:

फोन:

(सफल कंपनी/फर्म को बिलों के साथ निम्नलिखित घोषणा(1 और 2) देनी होगी)।

1. घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती (फर्म/संस्थान का नाम) के स्वामी/मालिक होने के नाते, मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970/मजदूरी संहिता 2019 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों का पालन किया है, जहाँ तक वे मेरी फर्म/संस्थान पर लागू होते हैं। इस संदर्भ में, मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बैंक द्वारा मुझे सौंपे गए कार्य के संबंध में मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों/श्रमिकों को प्रचलित सीएलसी दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया है।

स्थान : कंपनी/फर्म की मुहर और हस्ताक्षर
दिनांक: नाम:

पता:
ईमेल:
फ़ोन:
मोबाइल:

1. जीएसटी घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी/हमारी फर्म/संस्थान का जीएसटी पंजीकरण क्रमांक है।

और बिल में दावा किया गया जीएसटी बैंक से प्राप्त होने के बाद भारत सरकार को विधिवत भुगतान किया जाएगा।

मैं उचित समय पर बैंक को भारत सरकार को जीएसटी के भुगतान के बारे में सूचित कर दूंगा।

स्थान : कंपनी/फर्म की मुहर और हस्ताक्षर
दिनांक: नाम:

पता:
ईमेल:
फ़ोन:
मोबाइल:

अनुलग्नक VII – प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रारूप (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र पर)

स्थान : _____

दिनांक : _____

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,
प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क
सहस्रधारा रोड,
देहरादून 248013

प्रिय महोदय,

रखरखाव और सेवाओं के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के निष्पादन हेतु बैंक के गारंटी

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है, (जिसे आगे "आरबीआई" कहा गया है) ने मेसर्स _____ (सेवा प्रदाता का नाम) (जिसे आगे "उक्त सेवा प्रदाता" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनी भी शामिल होंगे) के साथ _____ के रखरखाव और सेवाओं के लिए एक द्विपक्षीय व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) (जिसे आगे "अनुबंध" कहा गया है) किया है।

और

जबकि सेवा प्रदाता उक्त अनुबंध के तहत आरबीआई को सीएएमसी के निष्पादन हेतु कुल ₹ _____ (केवल _____ रुपये) (राशि अंकों और शब्दों में) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त सेवा प्रदाता अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों का विधिवत पालन कर सके।

हम, _____ (बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), सेवा प्रदाता मेसर्स _____ के अनुरोध पर, एतद्वारा आरबीआई को अनुबंध की शर्तों और नियमों के विधिवत पालन के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में _____ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

29 | पृष्ठ

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

1. हम _____ (बैंक का नाम) एतद्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों और असाइनियों के साथ सहमत होते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सेवा प्रदाता ने उक्त अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगा; तो हम आरबीआई द्वारा माँगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को रु. _____ (केवल _____ रुपये) या आरबीआई द्वारा माँगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी उक्त अनुबंध के तहत सेवा प्रदाता के दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के समतुल्य मानी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देयता रु. _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी।
 2. हम यह वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त राशि (केवल _____ रुपये) का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, आरबीआई द्वारा लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, बिना किसी आपत्ति के कर देंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई और प्रमाण या सबूत नहीं माँगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा हम किसी भी प्रकार से इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद, बैंक आरबीआई को माँगी गई राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत हमारी देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपर्युक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
 3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और सेवा प्रदाता के बीच हुए करार या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
 4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं कर सकते।
- हम इसके द्वारा आगे इस बात से भी सहमत हैं कि –
- a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई या चूक, या आरबीआई द्वारा सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का समय देना या रियायत दिखाना, या इससे संबंधित कोई अन्य मामला हमें किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल सेवा प्रदाता द्वारा अपने दायित्वों के पालन पर ही पूर्ण होगी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा अधिकतम _____ रुपये (केवल _____ रुपये) की राशि का भुगतान करने पर ही पूर्ण होगी।
 - b) इन दस्तावेजों के तहत हमारी देनदारी _____ रुपये (केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी।

- c) इस करार के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी अशक्तता या अनियमितता या उनके दायित्वों से, या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संरचना में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
- d) यह गारंटी _____ (अनुबंध अवधि के बाद 60 दिन) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि इसमें निहित है, उनके द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
- e) इन शर्तों के तहत हमारी देनदारी तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इन शर्तों का नवीनीकरण _____ तिथि को या उस दिन को नहीं किया जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा जारी लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा, इनमें से जो भी तिथि बाद में हो। यदि हमारे विरुद्ध किसी भी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत आरबीआई के हमारे प्रति सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इस अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके प्रमाण स्वरूप, मैं/हम बैंक की ओर से इस गारंटी पर दिनांक ----- (माह) (वर्ष) को विधिवत अधिकृत होकर हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं।

_____ (बैंक का नाम) की ओर से और के लिए

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम

बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया।

उपस्थिति:

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी पर संबंधित राज्य में लागू स्टॉप शुल्क लागेगा।)

इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार मान्य हैं।



भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग, देहरादून

भाग-II (मूल्य बोली)

of

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में 2 X 20 KVA यूपीएस
सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए।

फर्म/कंपनी का नाम: _____

पता: _____



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपत्ति विभाग
देहरादून

मूल्य बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 और 17, आईटी पार्क, देहरादून में स्थित 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

क्र मां क।	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	राशि रुपये में (सभी लागू करें सहित)
1.	2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के सीएएमसी के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (निर्माता: एएल, मॉडल: अल्फा-33) कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट 2 x 20 केवीए यूपीएस सिस्टम के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध की वार्षिक दर, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन में। (सभी शुल्क शामिल हैं)	1 कार्य	प्रत्येक वर्ष	
	कुल			
रुपये (.....)				

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर और कंपनी/फर्म की मुहर

नाम:
पता:
ईमेल:
फोन: